



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर-452 007

दूरभाष : 0731-2432822, फ़ैक्स : 0731-2536600

ई-मेल : commlab@nic.पद वेबसाइट : http://labour.mp.gov.in

इन्दौर, दिनांक 27/07/2018

आदेश

आदेश क्रमांक 507/2018, मुख्यालय में पदस्थ उप श्रमायुक्तों को उन्हें विभिन्न श्रम कानूनों में विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग हेतु निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है :-

क्र.	नाम एवं पदनाम	विभिन्न श्रम अधिनियमों में दिए गए अधिकार	क्षेत्राधिकारिता संभाग
1.	श्री एल.पी. पाठक उप श्रमायुक्त	1-संविदा श्रमिक (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 की धारा 15 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी 2-बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा-30 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति 3-ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1970 की धारा 11 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति एवं धारा 7 (8) के अंतर्गत अपील सुनवाई 4-उपकर निर्धारण एवं उपकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्राप्त अपीलों की सुनवाई 5-श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम, 1955 (मजीठिया आयोग) की धारा 17 के अंतर्गत प्राधिकारी	भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, जबलपुर
2.	श्री एस.एस. दीक्षित, उप श्रमायुक्त	1-संविदा श्रमिक (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 की धारा 15 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी 2-बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा-30 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति 3-ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1970 की धारा 11 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति एवं धारा 7 (8) के अंतर्गत अपील सुनवाई 4-उपकर निर्धारण एवं उपकर निर्धारण आदेश के विरुद्ध प्राप्त अपीलों की सुनवाई 5-श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी अधिनियम, 1955 (मजीठिया आयोग) की धारा 17 के अंतर्गत प्राधिकारी	इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजेश बहुगुणा)


श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश

कमांक 1/13/सात/2017/ 30205-309

इन्दौर, दिनांक 27-07-2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, इन्दौर की ओर पालनार्थ।
3. समस्त शाखा अधिकारी की ओर पालनार्थ।
4. सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल/असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल/स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
5. कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल/
6. समस्त उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
7. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औ.स्वा.एवं सुरक्षा, म.प्र.
8. निज सहायक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
9. कार्यालय अधीक्षक की ओर पालनार्थ।
10. समस्त शाखा प्रमुख की ओर पालनार्थ।
11. आदेश पत्रिका/गार्ड फाईल में संकलनार्थ।


श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश इन्दौर